भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र/ Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064 1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2019/ 4 9 1)

दिसंबर 03, 2019

सूचना / Notice

विषय : डुप्लीकेट सीएचएसएस कार्ड जारी करने के लिए प्रभारों में संशोधन।

Sub: Revision of charges for issuing duplicate CHSS Cards-reg.

उपरोक्त विषय पर पऊवि के दिनांक 21.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/2019/IR&W/14334 की एक प्रति संलग्न है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/2/2019/IR&W/14334 dtd.21.11.2019 on the above subject, is enclosed.

इस केंद्र के सभी कार्मिक उक्त कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सूचनार्थ हेतु कृपया नोट करें।
All the employees of this Centre may please keep note of the content of the Office
Memorandum for their information.

अपिन किसीट पीरी (ए. के. पात्रा / A. K. Pattra)

सहायक कार्मिक अधिकारी/Asst. Personnel Officer

सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards :



(গ্র 022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाणु ऊर्जा विभाग ARTMENT OF ATOMIC ENERGY

PARTMENT OF ATOMIC ENERGY C.S.M. Marg, औ. सं. एवं क. अनुभाग मुंबई/Mumbai IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

सं. No. 7/2/2019/IR&W/\ 4334

नवम्बर November 21, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : डुप्लीकेट सीएचएसएस कार्ड जारी करने के लिए प्रभारों में संशोधन।

Sub: Revision of charges for issuing duplicate CHSS Cards reg.

पऊवि सीएचएसएस नियमावली, 1998 के खंड 17.4 के अनुसार, सीएचएसएस पहचान पत्र खो जाने (सदस्यता समाप्त होने पर कार्ड सरेंडर न करने सिहत), न मिलने / कट-फट जाने पर, जैसा भी मामला हो, प्रभारों का भुगतान करने पर डुप्लीकेट सीएचएसएस पहचान कार्ड जारी किया जाता है। डुप्लीकेट सीएचएसएस पहचान कार्ड जारी किया जाता है। डुप्लीकेट सीएचएसएस पहचान कार्ड जारी करने के लिए प्रभार के रूप में ली जाने वाली राशि में पिछली बार संशोधन पऊवि के दिनांक 4/12/2018 का.जा.सं. 7/3/2017 आईआरएण्डडब्ल्यू/15103 के द्वारा किया गया था।

In terms of clause 17.4 of DAE CHSS Rules, 1998, duplicate CHSS Identity Cards are issued on payment of charges in case the CHSS Identity Card is lost (including non-surrender of cards on discontinuance of membership), misplaced/mutilated as the case may be. The amounts to be charged for issue of duplicate CHSS Identity Card was last revised vide DAE OM No. 7/3/2017/IR&W/15103 dated 4.12.2018.

2. पऊवि के दिनांक 4/12/2018 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा डुप्लीकेट सीएचएसएस कार्ड जारी करने के लिए जारी अधिसूचित दरों की समीक्षा करने हेतु डीसी बैठक में स्टाफ साइट से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विभाग में ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, प्रभारों में अब निम्नानुसार संशोधन कर कम करने का निर्णय लिया गया है :-

Request has been received from the staff side in DC meeting to review the rate notified for issue of duplicate CHSS card vide DAE OM dated 4.12.2018. After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided to further revise the charges to reduce as follows:

सं. No.	विवरण Particulars	प्रभार
		Charges
1.	पहली बार सीएचएसएस कार्ड खोने (सदस्यता समाप्त होने पर कार्डी को	<i>হ.</i> 100/-
	सरेंडर न करने सहित) अथवा न मिलने कट-फट जाने पर	1
	Loss of CHSS card (including non-surrender of cards on	
	discontinuance of membership) or misplaced/mutilated on	
	first occasion.	
2.	दूसरी बार सीएचएसएस कार्ड खोने (सदस्यता समाप्त होने पर कार्डी को	₹.200/-
	सरेंडर न करने सहित) अथवा न मिलने कट-फट जाने पर	
	Loss of CHSS card (including non-surrender of cards on	
	discontinuance of membership) or misplaced/mutilated on	
	subsequent occasion.	

3. सीएचएसएस पहचान कार्ड के खो जाने या न मिलने पर, डुप्लीकेट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन के साथ पुलिस में दर्ज शिकायत की एक प्रति संलग्न करनी होगी, इसी प्रकार कट-फट जाने पर, पुराने कार्ड को सरेंडर करना होगा।

In case of loss or misplacement of the CHSS Identity card, a copy of the police complaint lodged has to be accompanied with the application for issue of duplicate card. Similarly, in case of mutilation the old card should be surrendered.

4. उपर्युक्त संशोधन इस तथ्य को ध्यान में रखकर अनुमोदित किए गए हैं कि वर्तमान लाभार्थियों को जारी किए जा रहे कार्ड, पेपर कार्ड होते है और इस कार्ड को उपलब्ध कराने में लागत कम आती है। तथापि, पऊवि के दिनांक 04.12.2018 के का.जा.सं.7/3/2017/आईआरएण्डडब्ल्यू/15103 के द्वारा अधिसूचित दरें स्मार्ट कार्ड जारी होने के बाद लागू होंगी।

The above revision has been approved considering the fact that the cards being issued currently to the beneficiaries are paper card and the cost involved in providing these cards are less. However, the rates notified vide DAE OM No. 7/3/2017/IR&W/15103 dated 4.12.2018 will be become applicable after issuance of CHSS smart cards.

5. इसे विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासन प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities.